

सिटीजन/क्लाइंट चार्टर जनजातीय कार्य मंत्रालय

उत्तरदायित्व केन्द्र:- नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन
नई दिल्ली

क. प्रस्तावना

एनएसटीएफडीसी जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों या समूहों को उनके आर्थिक उत्थान के लिए आय जनित गतिविधियों हेतु रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय सहायता राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों (यों), कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आरआरबी एवं एनसीडीसी, जिनका एनएसटीएफडीसी के साथ पुनः वित्त अनुबंध है के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उन पात्र अनुसूचित जनजातियों को दी जाती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए वार्षिक से अधिक ना हो।

ख. उद्देश्य, लक्ष्य एवं कार्य

क. उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों का निरंतर आर्थिक विकास।

ख. उद्देश्य : एनएसटीएफडीसी जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संस्थान है जो अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक -आर्थिक उत्थान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। एनएसटीएफडीसी का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों की पहचान करना ताकि स्व-रोजगार उत्पन्न हो और उनका आय स्तर बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत एवं कार्यावस्था दोनों प्रकार के प्रशिक्षण से अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया और उनके कौशल को उन्नत करना।
- वर्तमान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में कार्यरत अन्य विकासात्मक एजेंसियों को अधिक प्रभावशाली बनाना।
- राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों को परियोजना तैयार करने, एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन और उनके कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने में सहायता करना।
- एनएसटीएफडीसी सहायता प्रदत्त योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना तथा उसके प्रभाव का आंकलन करना।

ग. गतिविधियां

- अनुसूचित जनजातियों के बीच एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना।
- लाभार्थियों के साथ-साथ राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों के कार्मिकों की कुशलता विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराना।
- राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से पात्र अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए व्यवहार्य आय जनित गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- अनुसूचित जनजातियों के उत्पाद विपणन में सहायता।

ग. मुख्य सेवाएं/लेनदेन:

क्र. सं.	मुख्य सेवाएं/लेनदेन		उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	फोन नं.	प्रक्रिया	अपेक्षित कागजात	शुल्क		
								वर्ग	माध्यम	राशि
1.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को मंजूरी एवं जारी वित्तीय सहायता	<p>क. श्री आर.जे.कच्छप महा प्रबं.प्रमुख (परि.,का.एवं सत.एवं सीपीआईओ)</p> <p>ख. श्रीमती बिस्मिता दास मुख्य प्रबं.(परि.,सीएसआर) (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। ➤ उपरोक्त राज्यों//संघ राज्य क्षेत्रों के एनकेएफएल, आर. आर.बी. एवं पीएसयू बैंक</p>	<p>raianstfdc@gmail.com</p> <p>bismitadas@gmail.com</p>	<p>011-26177046</p> <p>011-26177052</p>	<p>मंजूरी: एनएसटीएफडीसी के मानदंडों को पूरा करने हेतु, परियोजना प्रस्ताव एवं व्यवहार्यता की संवीक्षा संवितरण: मंजूरी एवं संवितरण मानदंडों को पूरा करने हेतु शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन हेतु आग्रह पर कार्रवाई करना ।</p>	<p>मंजूरी: एनएसटीएफडीसी के निर्धारित -प्रपत्र के मानदंडों के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव संवितरण: चयनित आवेदकों की सूची के साथ निधि जारी करने हेतु आग्रह तथा एनएसटीएफडीसी मानदंड के अनुरूप पूर्व संवितरण संबंधी अतिदेय राशि एवं प्रयुक्त राशि का निपटान एवं गारंटी की उपलब्धता ।</p>	लागू नहीं है ।			
		<p>ग. डॉ.ज्योति सिंघल मुख्य प्रबंधक(परियोजना) (गुजरात,राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख,हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार झारखण्ड,पश्चिमी बंगाल एवं ओडिशा राज्यों के लिए)</p> <p>➤ उपरोक्त राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र के एनकेएफएल,आर.आर.बी. एवं पीएसयू बैंक</p> <p>➤ एनसीडीसी</p>	<p>Jyoti_sin2003@yahoo.co.in</p>	<p>011-26177044</p>						

		घ. श्री भाग्यराज पेरुमल मुख्य प्रबंधक (परि. एवं एमआईएस) (अरुणाचल प्रदेश, असम, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय एवं सिक्किम राज्यों के लिए) ➤ उपरोक्त राज्यों के एनकेएफएल एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं पीएसयू बैंक)	bagyaraj.perumal@nstfdc.nic.in	011-26712587			
	ड.	श्री विकाश रंजन, प्रबंधक (छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली और दीव राज्यों/संघ राज्यों के लिए) ➤ उपरोक्त राज्यों एवं एनकेएफएल एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं पीएसयू बैंक एवं ट्राइफेड)	vikash.ranjan@nstfdc.nic.in	011-26177044			

घ. सेवा मानक

क्र.सं.	मुख्य सेवाएं/लेनदेन	सेवा मानक	यूनिट	डाटा साधन
1.	अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए ग्राहकों को वित्तीय सहायता मंजूरी सभी प्रकार से पूर्ण- क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की शक्तियों के भीतर	क.30	दिन	एनएसटीएफडीसी का रिकार्ड

	ख. बोर्ड की शक्तियों के भीतर	ख.90	दिन	
2.	अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए ग्राहकों को वित्तीय सहायता का संवितरण सभी प्रकार से पूर्ण।	45	दिन	एनएसटीएफडीसी का रिकार्ड

ड. शिकायत निवारण प्रणाली

क्र.सं.	सार्वजनिक शिकायत अधिकारी का नाम	फोन नं.	ई-मेल	मोबाइल नम्बर
1.	श्री आर.जे.कच्छप महा प्रबं. (परि.,प्रमुख (का.एवं सत.) सीपीआईओ	011-26177046	rajanstfdc@gmail.com	09868553343
2.	श्रीमती बिस्मिता दास मुख्य प्रबं.(परि.,सीएसआर) (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। ➤ उपरोक्त राज्यों/ एनकेएफएल एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं पीएसयू बैंक	011-26177052	bismitadas@gmail.com	9953536179
3.	डॉ.ज्योति सिंघल मुख्य प्रबंधक(परियोजना) (गुजरात,राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख,हिमाचल प्रदेश,उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार झारखण्ड,पश्चिमी बंगाल एवं ओडिशा राज्यों के लिए) ➤ उपरोक्त राज्यों के एनकेएफएल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं पीएसयू बैंक ➤ एनसीडीसी	011-26177044	Jyoti_sin2003@yahoo.co.in	9871378133
4.	श्री भाग्यराज पेरुमल मुख्य प्रबं. (परियोजना एवं एमआईएस) (अरुणाचल प्रदेश,असम, मिज़ोरम,नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय एवं सिक्किम राज्यों के लिए) ➤ उपरोक्त राज्यों के एनकेएफएल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं पीएसयू बैंक)	011-26712587	bagyaraj.perumal@nstfdc.nic.in	9543582162
5.	श्री विकाश रंजन, प्रबंधक (छत्तीसगढ़, गोवा,मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली और दीव राज्यों/संघ शासित राज्यों के लिए) ➤ उपरोक्त राज्यों के एनकेएफएल,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं पीएसयू बैंकों के लिए एवं	011-26177044	vikash.ranjan@nstfdc.nic.in	7042798077

ट्राइफेड			
----------	--	--	--

छ. हितधारकों /ग्राहकों की सूची

क्र.सं.	हितधारक/ग्राहक
1.	राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार एवं अन्य संगठनों के राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (ब्यौरा- nstfdc.tribal.gov.in) पर उपलब्ध है) ।
2.	पीएसयू बैंक- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक ।
3.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- असम ग्रामीण विकास बैंक, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, देना गुजरात ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक (झारखंड), ओडिशा ग्राम्य बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक (ओडिशा), मणिपुर ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक, मेघालय ग्रामीण बैंक, नागालैंड ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक (उत्तर प्रदेश), उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और बंगिया विकास ग्रामीण बैंक (पश्चिम बंगाल), मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश), सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (गुजरात)), आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (आंध्र प्रदेश), केरल ग्रामीण बैंक (केरल), छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक(राजस्थान) ।
4.	नेशनल को ओपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन(एनसीडीसी)
5.	नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड
6.	स्त्री निधि ऋण सहकारी फेडरेशन लिमिटेड

ज. उत्तरदायी केन्द्रों एवं अधीनस्थ संगठनों की सूची- कोई नहीं

क्र.सं.	आंचलिक कार्यालयों की सूची	फोन नं.
1.	नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरसीसी बिल्डिंग, प्रथम तल , (पुल के पास)हेंगराबडी रोड़, दिसपुर,गुवाहाटी-781 005(असम)	0361-2232724
2.	श्री वी.जी.घुटके उप आंचलिक महा प्रबंधक, नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भूतल, ब्लॉक -बी,एमपीएवीबीएन बिल्डिंग,राजीव गांधी भवन परिसर-2, 35-श्यामला हिल्स, भोपाल-462 002, (मध्य प्रदेश)	0755-2660456

3.	श्रीमती कृष्णा वेनी मोथा आंचलिक प्रबंधक नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कॉरपोरेशन, चौथा तल, तेलुगु समक्षेमा भवन, मासब टेंक, हैदराबाद-500 028(आंध्र प्रदेश)	040-23396088
4.	श्री सुनील कुमार साहू आंचलिक प्रबंधक नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कॉरपोरेशन, प्लॉट नं.396, प्रथम तल, गैराज चाक, राजारानी नगर,ओलड टाउन, भुवनेश्वर-751 002(उड़ीसा)	0674-2342132

